न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2022 / जैसलमेर

अपीलांट

1. खेतसिंह पुत्र सुरतसिंह
2. सवाईसिंह पुत्र सुरतसिंह
   जाति राजपूत निवासी
   हयातपुरा तहसील भणियाणा
   जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पूराराम पुत्र गंगाराम
2.उम्मेदाराम पुत्र पूराराम जाति
मेघवाल निवासी दूधिया तहसील
भणियाणा जिला जैसलमेर
3.राजस्थान राज्य सरकार जरिये
भूमिधारी तहसीलदार भणियाणा
जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 18 / 2021 बअनवान खेतसिंह वगै. बनाम पूराराम वगै. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06. 2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेश पूनड़ रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 04.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम हयातपुरा पटवार क्षेत्र जालोडा पोकरण तहसील भणियाणा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 70 रकबा 08.3446 हैक्टयर का आया हुआ है जिसमें वादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा है तथा वादग्रस्त भूमि सामलाती भूमि है जिसका विधिवत रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा किया हुआ है तथा विधिवत बंटवाडा न होने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हर समय तनजा बना रहता है इसलिये वादीगण अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार करवाकर बाहामी रूप से बंटवाडा करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख 29.06.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार भणियाणा से मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार भणियाणा स्वयं ने मौके पर न जाकर अपने अधिकारी हल्का पटवारी व आर आई को प्रदान कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया, जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभाजन के जो नियम बनाये है, उसके अनुसार विभाजन का प्रस्ताव भूमिधारक स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ऐसे विभाजन प्रस्ताव को तैयार करने का दिन निश्चित कर वाद प्रकरण के पक्षकारों/सहखातेदारों को लिखित सूचना इस आशय की देगा कि उक्त कृषि भूमि का बाई मीटस एण्ड बंटवाडा तकासमा किया जाना है, जिस हेतु आप सभी सहखातेदार अमुक तारीख को उपस्थित रहे। जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक ही जगह बैठकर कागजी कार्यवाही कर बिना अपीलकर्ता को विधिवत सूचना दिये ही विभाजन प्रस्ताव को हल्का पटवारी द्वारा बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। उभयपक्षकारान के हिस्से जमाबंदी में खुले हुए है। हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित की गई है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हस्तगत अपील में अपीलांटगण द्वारा हिस्सों को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2021 बअनवान खेतसिंह वगै. बनाम पूराराम वगै. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2021 को यथावत रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा को निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव पर आपतियों का निस्तारण कर विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर